



BULANDSHAHR POLICE



दिनांक 27 अक्टूबर, 2024

थाना जहांगीरपुर

जिला बदर शातिर अपराधी अवैध चाकू सहित गिरफ्तार।

जनपद में अपराधों पर अंकुश लगाये जाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत दिनांक 26.10.2024 को थाना जहांगीरपुर पुलिस द्वारा एक जिला बदर अपराधी को परोरी तिराहे के पास से अवैध चाकू सहित गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है जिसे श्रीमान अपर जिला मजिस्ट्रेट (वि०/रा०) द्वारा दिनांक 27-09-2024 को 06 माह की अवधि के लिये जिला बदर घोषित किया गया था। अभियुक्त की गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना जहांगीरपुर पर मुअसं-88/24 धारा 10 यूपी गुण्डा नियन्त्रण अधि० व 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत करते हुए अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

1. सुमित पुत्र सुरेन्द्र निवासी ग्राम जवां थाना जहांगीरपुर जनपद बुलन्दशहर।

बरामदगी-

1. 01 चाकू

अभियुक्त पप्पू का आपराधिक इतिहास-

1. मुअसं-73/24 धारा 147,148,323,504,506 भादवि थाना जहांगीरपुर जनपद बुलन्दशहर।
2. मुअसं-102/22 धारा 323,324,504,506 भादवि व 3(1)घ एससी एसटी एक्ट थाना जहांगीरपुर जनपद बुलन्दशहर।
3. मुअसं-88/24 धारा 10 यूपी गुण्डा नियन्त्रण अधि० व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना जहांगीरपुर जनपद बुलन्दशहर।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. श्री अमित कुमार सिंह थानाध्यक्ष जहांगीरपुर
2. उ०नि० उदयवीर सिंह, उ०नि० सोमेश कुमार
3. है०का० मोहित कुमार, देवेन्द्र सिंह, रवि कुमार



मीडिया सैल बुलन्दशहर